कार्यालय अधिशासी अभियंता, अवस्थापना (पुनर्वास) निर्माण खंड, सिंचाई विभाग, नई टिहरी के माह फरवरी 2015 से जुलाई 2016 तक के अवधि की लेखा अभिलेखों पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 13 के अधीन श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री बी॰ सी॰ मुखर्जी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री एन एस भण्डारी लेखा परीक्षक द्वारा 07-09-2016 से 19-09-2016 तक श्री जे॰ एम॰ एस॰ रावत, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण संपादित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

यह निरीक्षण आख्या **अवस्थापना (पुनर्वास) खंड निर्माण खंड, सिंचाई विभाग, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा श्री एस एस दरियाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री जयंत प्रकाश लेखा परीक्षक द्वारा श्री सुनील कल्ला व॰ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे दिनांक 13-02-2015 से 26-02-2015 तक में सम्पन्न हुयी थी, जिसमें खण्ड के माह 03/2012 से 01/2015 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह फरवरी 2015 से जुलाई 2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतः जांच की गयी।
2. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिशासी अभियंता खण्ड मे कार्यरत रहें।
   I. श्री डी के सिंह (विगत लेखा परीक्षा से 07-09-2016 तक)
   II. श्री शरद श्रीवास्तव (08-09-2016 से वर्तमान तक)

   विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहेः-

   I. श्री विपिन कुमार (विगत लेखा परीक्षा से 25/10/2015 तक)
   II. श्री आर॰ बी॰ एस॰ राणा (26/10/15 से वर्तमान तक)
3. अधीक्षण अभियन्ता ने खण्ड का गत सम्प्रेक्षण से, अब तक की अवधि के दौरान का निरीक्षण माह – **अप्रस्तुत**
4. खण्ड के भण्डार तथा यंत्र संयत्र लेखों की अर्द्धवार्षिक/वार्षिक बन्दी क्रमशः माह – **09/2015**
5. फार्म 51: माह 03/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम – ` 66836777.00

   भाग द्वितीय – ` 26064952.00

खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह मार्च 2015 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम ` 14246414.00

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नकद परिशोधन ` शून्य

(घ) स्टाक ` DCL – 11984850.00
` CCL - 96362.00

(ङ) निक्षेप ` 466439357.00

पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्र.सं.	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं./वर्ष	अनिस्तारित कण्डिकाएं	
		भाग दो 'अ'	भाग दो 'ब'
1	91/2001-02	-	1,2
2	27/2002-03	1,2	1,2,3,4,5
3	113/2004-05	1,2	1,2
4	109/2005-06	1,2,3,4,5,6	1
5	40/2007-08	1,2,3	-
6	45/2009-10	1,2	-
7	102/2011-12	1	1,2
8	109/2014-15	-	1,2,3,4,5

6. अप्रस्तुत अभिलेखः- **शून्य**

7. सतत अनियमिततायेः- **शून्य**

8. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्ष	आयोजनागत	
		कुल आंवटन (` लाख में)	कुल व्यय (` लाख में)
2013-14	**8443**	939.26	3699.95
2014-15		2638.17	3417.86
2015-16		1811.76	3748.09
2016-17 (up to 08/2016)		299.65	1679.25
योग		**5688.84**	**12545.15**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-1:-अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण डीपीआर स्वीकार किए जाने के कारण ` 336.47 लाख की लागत वृद्धि के साथ ` 25.94 लाख का परिहार्य व्यय तथा अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध ठेकेदार को ` 49.10 लाख का अधिक भुगतान

शासन द्वारा चिन्यालीसौड़ में भागीरथी नदी के ऊपर 162.00 मीटर स्पान के मोटर वाहन पुल के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, विभाग द्वारा प्रस्तुत डीपीआर/आगणन[1] के आधार पर ` 3572.57 लाख (50% टीएचडीसी आईएल द्वारा वित्त पोषित) प्रदान (01/2013) की गयी। मुख्य अभियंता (गंगा–घाटी) सिचाई विभाग द्वारा स्वीकृति की सीमा तक व्यय तथा पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने के निर्देश के साथ ` 37.62 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (03/2013) की गयी। निर्माण के दौरान Thrust Block एवं Piers की नीव खुदाई के दौरान Hard strata न मिलने के कारण Consultant द्वारा अतिरिक्त खुदाई (upto hard strata) किए जाने के निर्देश दिये गए जिसके कारण concrete तथा steel की मात्राओ मे अधिकता आई साथ ही सुरक्षात्मक कार्यो को और अधिक किए जाने के कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन गठित कर शासन द्वारा ` 1702.43 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त (02/2016) की गयी। इस प्रकार कुल ` 5275.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। निर्माण कार्य हेतु एक ठेकेदार[2] के साथ ` 3762.49 लाख का एक अनुबंध[3] गठित किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य 09/2014 तक पूर्ण किया जाना था किन्तु कार्य ` 2943.40 लाख के व्ययोपरांत लेखा परीक्षा तिथि तक प्रगति पर था।
कार्य से संबन्धित अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (09/2016) मे पाया कि

1– कार्य की Bill of Quantity (BoQ) Consultant के द्वारा ही तैयार की गयी थी। IRC/MORTH Data Book के प्रावधानों के अनुसार Backfilling and or within abutment ….using sand (Backfilling) कार्य मद का भुगतान Cum इकाई मे किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा द्वारा जांच मे पाया कि अनुबंध के अंतर्गत कार्य मद A–9 (Backfilling) की मात्रा मीट्रिक टन के अनुसार प्रावधानित एवं अनुबंधित कर ठेकेदार को भुगतान किया जा रहा था। इसी अनुबंध के कार्य मद A-2 के अंतर्गत Backfilling (with Same Specification) का प्रावधान Cum इकाई मे (` 1900/घन मीटर) मे किया गया है।
इस संबंध में ठेकेदार द्वारा खंड से पत्राचार[4] किया गया कि backfilling कार्य मद का भुगतान किस मद के अंतर्गत मापा व भुगतान किया जाएगा। विभाग द्वारा इस संबंध मे कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा मीट्रिक टन इकाई मे ही भुगतान किया गया।
इस प्रकार कंसल्टेंट के द्वारा त्रुटिपूर्ण BoQ तैयार किए जाने तथा खंड के द्वारा प्रावधानों से इतर ईकाई मीट्रिक टन मे भुगतान किया जाने के कारण विभाग द्वारा ठेकेदार को ` 6.68 लाख (957.41*1900) - (957.41/1.58*1900) का अधिक भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अ॰ अ॰ द्वारा अवगत कराया गया कि, ठेकेदार को अनुबंध की BoQ मे अंकित इकाई के अनुसार भुगतान किया गया हैं, किए गए अधिक भुगतान की वसूली अगले देयक से कर ली जाएगी।

2– कार्य हेतु गठित अनुबंध के Clause 3.1.7[5] (Page 53 of Contract) के साथ पठित Special condition of rate for variation in quantities (Page-44 of contract) के अनुसार "किसी कार्य मद की मात्रा में धनात्मक भिन्नता होने

---

[1] Detailed Project Report (DPR) का कार्य M/S C D C Consulting Design Engineering Centre Kolkata द्वारा किया गया था, डीपीआर कार्य हेतु consultant को ` 44.00 लाख का भुगतान किया गया।
[2] M/S Hillways Constrution company Rishikesh
[3] 02/SE (R) /Chilyanisaud/2013-14
[4] पत्रांक संख्या 21/42दिनांक 2014-09-28
[5] Where any portion of General condition of contract (GCC) is repugnant to or at variance with any provisions of the special condition of contract(SCC) , then, unless a different intention appears the

पर अनुबंधित दर विभागीय दर से अधिक होने पर ऐसे कार्य की वास्तविक संपादित मात्रा का मूल्यांकन अनुबंध मे दी गयी मात्रा के लिए अनुबंधित दर पर तथा अनुबंध में दी गयी मात्र से अधिक संपादित मात्रा का मूल्यांकन विभागीय अनुमानित दर पर किया जाएगा एवं तदनुसार दोनों को जोड़कर ठेकेदार को ऐसी मद का अंतिम भुगतान किया जाना था। लेखा परीक्षा द्वारा जांच मे पाया कि पूर्व के देयकों मे अनुबंध की शर्तो के अनुसार भुगतान किया जा रहा था किन्तु 19th R/B मे वास्तविक संपादित मात्रा का मूल्यांकन अनुबंधित दरो पर कर दिया गया। इस प्रकार अनुबंध की शर्तो के विरुद्ध ठेकेदार को भुगतान किए जाने के कारण ठेकेदार को कुल ` 49.10 लाख (संलग्नक-1) का अधिक भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अ॰ अ॰ द्वारा अवगत कराया गया कि, भिन्नता को पुनरीक्षित आगणन मे शामिल कर शासन की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के उपरांत, ठेकेदार के आवेदन के आधार भुगतान की कार्यवाही की गयी हैं। खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि शासन के द्वारा पुनरीक्षित आगणन की मात्र प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की कार्यवाही और अनुबंध एक दूसरे के पूरक नहीं है। अतः विभाग द्वारा ठेकेदार को भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

इस प्रकार अनुबंध की शर्तो के विरुद्ध भुगतान कर ठेकेदार को ` 49.10 लाख (संलग्नक-1)का लाभ पहुंचाया गया।

3- कार्य निष्पादन हेतु Consultant के द्वारा उपलब्ध कराई गयी Drawing/Design को आईआईटी खड़गपुर एवं वाराणसी से अनुमोदित करा कर कार्य प्रारम्भ किया गया। कार्य निष्पादन के दौरान Thrust Block एवं Piers की नीव खुदाई के दौरान Hard Strata न मिलने के कारण मिट्टी खुदाई, Concrete work तथा स्टील की मात्रा मे बढ़ोतरी हुई, इसके साथ ही सुरक्षात्मक कार्यो को और अधिक मात्रा मे प्रावधान किए जाने जाने के कारण पुनरीक्षित आगणन गठित किया गया। प्राक्कलन पुनरीक्षित किए जाने के कारण ` 1702.43 लाख की लागत वृद्धि हुई। जांच मे पाया कि पुनरीक्षित आगणन मे BOQ मे Superstructure मे प्रयोग किए जाने वाली स्टील की मात्रा को भी 1070.00 MT से बढ़ाकर 1336.22 MT (24.88%) का प्रावधान किया गया। इस प्रकार स्टील की मात्रा बढने के कारण लागत मे कुल ` 336.47 लाख[6] की बढ़ोतरी हुई।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अ॰ अ॰ द्वारा अवगत कराया गया कि, Geological & geotechnical investigation और Determination of soil and rock soil properties, कार्यो के अंतर्गत पूरे foundation area की Property ज्ञात नहीं की जा सकती है। यद्यपि कंसल्टेंट के द्वारा 10-19 मीटर गहराई तक Strata की जांच की गयी। BOQ मे Superstructure मे प्रयोग किए जाने वाली स्टील की मात्रा बढ़ने [1070.00 MT से 1336.22 MT (24.88%)] के संबंध मे अवगत कराया गया कि पुल की ड्राइंग/डिज़ाइन मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, आईआईटी वाराणसी द्वारा पुल की strengthening हेतु सुझाए गए Latticed Bracing System को डिज़ाइन मे शामिल किए जाने एवं hidden Items को शामिल किए जाने के कारण स्टील की मात्रा मे बढ़ोतरी हुई है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि Latticed Bracing System के संदर्भ मे मुख्य अभियंता (सिचाई विभाग) के पत्रांक 2164/28-03-2013 के अनुसार आईआईटी गुवाहाटी से सहमति (The overall weight of the structure will be kept nearly same by modifying the member section of the inner chord of the latticed system and adding member as outer chord) के उपरांत पुल के Latticed Bracing System मे परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तन से संरचना के भार मे कोई विशेष परिवर्तन नहीं आयेगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आईआईटी द्वारा पुल की strengthening हेतु सुझाए गए Latticed Bracing System को डिज़ाइन मे तो शामिल किया गया किन्तु भार के संबंध मे की गयी संस्तुति को दरकिनार

---

provisions of the SCC shall be deemed to override the provisions of the GCC and shall to the extent of such repugnance, or variations prevails.

[6] Cost of (steel + Assembling & erection + Fabrication Design + QAP)

कर superstructure की स्टील मे 24.88% की वृद्धि की गयी। अतः IIT द्वारा संस्तुत सुझावो को पूर्ण रूप से नहीं अपनाने के कारण लागत मे कुल ` 336.47 लाख की वृद्धि हुई।

अतः अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण डीपीआर स्वीकार किए जाने के कारण ` 336.47 लाख की लागत वृद्धि के साथ ` 25.94 लाख का परिहार्य व्यय तथा अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध ठेकेदार को ` 49.10 लाख का अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता हैं।

भाग - 2'ब'

प्रस्तर:1 अनुबंध के **'Special condition'** तथा आई॰आई॰टी॰ के सुझाव/ डिजाइन के विपरीत सेतु निर्माण कार्य मद पर ` 103.99 लाख का परिहार्य व्यय।

जनपद टिहरी गढ़वाल में घोण्टी नामक स्थान पर भिलंगना नदी के ऊपर 219 मी॰ स्पान हल्का वाहन झूला पुल (50 % टीएचडीसीएल द्वारा वित्त पोषित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा ` 2369.50 लाख की दिनांक 20.02.2013 को प्राप्त हुई एवं जिसकी पुनरीक्षित स्वीकृति, दिनांक 16.02.2016 को शासन द्वारा ` 3083.17 लाख की प्रदान की गई। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग (गंगा), उत्तराखण्ड, देहारादून द्वारा ` 2821.91 लाख का, दिनांक 19.03.2013 को प्रदान की गई। सेतु निर्माण कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता (पुनर्वास), अनुसंधान एवं योजना वृत्त, ऋषिकेश द्वारा ` 1994.80 लाख का एक अनुबंध गठित की गई।

सेतु निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे खण्ड द्वारा, इस कार्य हेतु गठित अनुबंध के शर्त, सेतु निर्माण के bill of quantity (BOQ) तथा IIT द्वारा तैयार किए गए तथा संस्तुत किए गए सेतु के डिजाइन, के विपरीत निर्माण कार्य निष्पादित किया जाना पाया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(i) अनुबंध मे दिये गए 'Special condition of rate for variation in quantity' अनुसार के ' किसी कार्य मद की मात्रा में धनात्मक भिन्नता होने पर और अनुबंधित दर विभागीय दर से अधिक होने पर ऐसे कार्य की वास्तविक संपादित मात्रा का मूल्यांकन अनुबंध में दी गई मात्रा के लिए अनुबंधित दर पर तथा अनुबंध में दी गई मात्रा से अधिक संपादित मात्रा का मूल्यांकन विभागीय अनुमानित दर पर किया जाएगा एवं तदनुसार दोनों को जोड़कर ठेकेदार को ऐसी मद का अंतिम भुगतान किया जाएगा।' खण्ड द्वारा उपरोक्त प्रावधान के अनुसार भुगतान न करते हुये ठेकेदार को **`13.70** लाख का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :

Item	**Rate**		**Quantity**		**Payment**		**Excess payment**
	As per Estimate/ T. S.	As per agreement	As per agreement	As per execution	Has been made	Should be made	
Concrete with 20 mm gauge ….. (PCC) 1:2:4	4733	5000	**575**	**1946.53**	9732680	9366451	366229
RCC in M30	**6724**	**8500**	**4700**	**4810**	40885170	40689640	195530
Fe 415	**67575**	**70000**	**300**	**337.935**	23655450	23563458	91992
Plum Concrete 1:3:7	**2903**	**3100**	**6500**	**8052.62**	24963122	24657256	305866
Fabrication and supply of steel bridge parts for deck,…..	**84085**	**87000**	**250**	**315.87**	27480690	27288679	192011

Fabrication and supply of steel bridge parts for steel tower.	**88282**	**92000**	**172**	**230.60**	21215200	20997325	217875
Total							1369503

(ii) खण्ड द्वारा उक्त कार्य का पुनरीक्षित आगणन, पुल के बिल की मात्रा में स्थल पर किए गए कार्य व किए जाने वाले अनुमानित कार्य की विस्तृत माप को आई॰आई॰टी॰ रूड़की द्वारा सत्यापित करवाकर माह अगस्त 2015 को तैयार किया गया था एवं आई॰आई॰टी॰ रूड़की द्वारा पुनरीक्षित बिल की मात्रा के सत्यापन के समय उल्लेख किया गया था कि कार्यस्थल की परिस्थिति एवं प्रभारी अभियंता के निर्देशन के अनुसार मदों की मात्रा में 5 से 10 प्रतिशत की भिन्नता हो सकती है। अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि अतिरिक्त मदों के रूप मे कराये गए दो कार्य **1. Supply and fixing of 22 mm dia M.S. Nut & Bolt,** एवं **2. Supply and fixing of 12 mm dia M.S. Nut & Bolt** मे आगणन से काफी अधिक मात्रा (लगभग 190%) में कार्य निष्पादित कराकर कार्य पर ` 32.99 लाख का अधिक व्यय/ भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

Item	**Quantity**		**Difference in quantity**	**Excess quantity more than 10 % of Estimated quantity**	**Excess Expenditure**
	As per Estimate	**As per execution/ (% of estimated quantity)**			
Supply and fixing of 22 mm dia M.S. Nut & Bolt	**12348**	**23073 (187%)**	**10725**	**9490**	1952093
Supply and fixing of 12 mm dia M.S. Nut & Bolt	**35280**	**66868 (190%)**	**31588**	**28060**	1346880
Total					3298973

(iii) खण्ड द्वारा सेतु का डिजाइन आई॰आई॰टी॰ रूड़की से तैयार कराया गया था, सेतु के डिजाईन को आई॰आई॰टी॰ बी॰एच॰यू॰ से वैट कराने के पश्चात आई॰आई॰टी॰ रूड़की द्वारा, आई॰आई॰टी॰ बी॰एच॰यू॰ द्वारा सुझाव के अनुसार सेतु के डिजाईन मे मद संख्या 12 पर **"25 mm diameter Fe415(TMT bars)to be used as suspender"** के स्थान पर **"16 mm diameter round strand steel wire ropes @ 1.01 kg/m as suspender"** का प्रयोग तथा मद संख्या. **14** (**Fabrication and supply of steel bridge parts for steel tower**) के कार्यमद की मात्रा 172 **MT** से बढ़ाकर 350 **MT,** तथा मद संख्या **13 (Fabrication and supply of steel bridge parts for deck,…..)** के कार्यमद की मात्रा (250 **MT)** मे कोई बदलाव नहीं किया गया था परंतु कार्य के 29**th bill** के अनुसार मद संख्या **13** के कार्यमद का 250 के सापेक्ष 315.87 **MT** एवं मद संख्या **14** के कार्यमद का 350 के सापेक्ष 230.60 **MT** ही कार्य निष्पादित की गई। इस प्रकार मद संख्या **13** पर ` 57.30 लाख (315.87- 250 =65.87 एमटी @ 87000) का व्ययाधिक्य किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा बिन्दु संख्या **(i)** के संबंध में उत्तर दिया गया कि साईट कंडीसन एवं डिजाइनर द्वारा दिया गया सुझाव के अनुसार मात्रा मे वृद्धि हुई है जिसे अनुबंध के **'Special condition'** के **बिन्दु 3** के अनुसार ठेकेदार को भुगतान किया गया है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि **'Special condition'** के **बिन्दु 3** के अनुसार 'उपरोक्त के अतिरिक्त परिस्थितियो में किसी कार्य मद

कि मात्रा में भिन्नता होने पर' अर्थात 'किसी कार्यमद कि मात्रा में **negative/ positive** भिन्नता होने और अनुबंधित दर विभागीय दर के समान होने पर' ठेकेदार को अनुबंधित दरों पर भुगतान किया जाएगा जबकि खण्ड द्वारा उन कार्यमदों पर ठेकेदार को अनुबंधित दरों पर भुगतान किया जिसका अनुबंधित दर विभागीय दर से अधिक था। इस प्रकार खण्ड द्वारा **बिन्दु 3** का गलत अर्थ निकालकर ठेकेदार को `**13.70** लाख का अधिक भुगतान किया गया, बिन्दु संख्या **(ii)** के संबंध में अवगत कराया गया कि कार्य की परिस्थिति एवं डिजाइनर की संस्तुति के आधार पर कुछ स्थानो पर 22 **mm** रिविट्स के स्थान पर **nut-bolt** का प्रयोग करने पर उक्त मद की मात्रा में वृद्धि हुई है, खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्य के 29वे चालू बिल के अनुसार कार्य पर 22 **mm** रिविट्स **(item No. 24)** का 56039 नग (`**70.05** लाख) का प्रयोग किया गया है इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा यह भी अवगत कराया गया था कि **fabrication, drilling hole** इत्यादि कार्य **workshop** मे ही कर लिया गया था एवं कार्य के 24वे (05/2015) एवं 25वे (04/09/15) चालू बिल के अनुसार ब्रिज पार्ट्स जब कार्यस्थल तक लाया जा चुका था (जिसका माप 5/15 एवं 11/8/15 को लिया जा चुका था) अर्थात **Revised BOQ/ estimate** स्वीकृत होने **(21/8/15)** से पहले खण्ड के कथन के अनुसार **nut-bolt** हेतु सभी **drilling hole** का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था क्योंकि **ground erection** के पश्चात ही **bridge parts** को कार्यस्थल पर लाया गया था लेकिन **Revised BOQ/ estimate** मे दर्ज **nut-bolt** की संख्या तथा 29वे चालू देयक मे **nut-bolt** की संख्या मे काफी भिन्नता पाई गई अर्थात **drilling hole** का कार्य या तो **workshop** मे पूरा नहीं किया गया या चालू देयक में दर्ज **nut-bolt** की संख्या वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या **(iii)** के संबंध में उत्तर दिया गया कि **Item No. 13** के कार्य मद में डिजाइनर द्वारा समय-समय पर दिये गए संशोधन के कारण भिन्नता आई है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि प्रथमत: खण्ड, डिजाइनर द्वारा समय-समय पर दिये गए संशोधन का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया द्वितीयत: **IT BHU** के सुझाव पर ही **IIT Roorkee** द्वारा डिजाइन मे परिवर्तन किया गया था तब बिना किसी **IIT** से वैट कराये सेतु के डिजाइन मे परिवर्तन कर ` 57.30 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

इस प्रकार अनुबंध के **'Special condition'** के **बिन्दु 3** के गलत अर्थ निकाल कर, 56039 नग 22 **mm** रिविट्स का उपयोग करने के उपरांत भी 190 % 22 एवं 12 **mm nut-bolt** का उपयोग दिखा कर तथा **IIT** के सुझाव/ डिजाइन के विपरीत **steel tower** को **heavy** बनाने के स्थान पर **steel tower** को हल्का कर **bridge part** को **heavy** बनाकर **(IIT** के सुझाव अनुसार **bridge part, steel tower** का 71% **{250/350x100}** किया जाना था, जबकि कार्य निष्पादन में **bridge part** को **steel tower** का 137% **{315.87/230.60x100}** अर्थात **IIT** के सुझाव के सापेक्ष 66% ज्यादा वजनी किया गया) ` 103.99 लाख (` 13.70 लाख + 32.99 लाख + 57.30 लाख) का परिहार्य व्यय किया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग **कार्यालय अधिशासी अभियंता, अवस्थापना (पुनर्वास) खंड निर्माण खंड, सिंचाई विभाग, नई टिहरी** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II